न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./09/17/अजमेर

विभागीय अपील द्वारा श्री चरणजीत जलथरिया तत्कालीन पटवारी मियांपुर तहसील अजमेर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सराधना, तहसील अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर अजमेर दिनांक 29–05–2017 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री चरणजीत जलथरिया तत्कालीन पटवारी मियांपुर तहसील अजमेर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सराधना, तहसील अजमेर।

निर्णय

दिनांकः– 08.02.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 29–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 01.06.2015 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

वर्ष 2012–13 में पटवार मण्डल मियांपुर में कार्यरत रहने के दौरान आयोजित प्रशासन गांवों के सग अभियान–2013 के शिविर में ग्राम पंचायत मियांपुर द्वारा ग्राम देदूला के खसरा नम्बर कुल किता 14 रकबा 3.38 है. को आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत प्रस्तावों पर आप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आप द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर की स्थिति नहीं दर्शाते हुए केवल मात्र मौके पर मकानात एवं बाड़े बने हुए है, की रिपोर्ट अंकित की गई। जिला जन अभियोग सतर्कता समिति में ग्राम देदूला के ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम पंचायत द्वारा बस्ती से दूर स्थित खसरा नम्बरों पर व्यक्ति विशेष का कब्जा होने तथा उसे अनाधिकृत रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आबादी घोषित करवाये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। उनमें से

लगभग 2.75 है. भमि पर सुल्तान पुत्र उमराव एवं उसके पुत्रों एवं परिजनों के मकानात, बाडे व पोल्ट्रीफार्म बने हुए हैं। इस प्रकार आप द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने के फलस्वरूप व्यक्ति विशेष के कब्जे की भूमि को आबादी में घोषित कर दिया गया जिसके लिये आप उत्तरदायी है। आपका यह कृत्य अपने राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 10–12–15 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर लगाये गये आरोपों पर असहमति जताई। जिला कलक्टर अजमेर ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने नियम 16 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24–1–2017 को जिला कलक्टर, अजमेर को पेश कर दी। जिला कलक्टर अजमेर ने विस्तृत जांच की प्रतिलिपि भिजवाए बिना तथा अपीलांट को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बिना दिनांक 29–5–2017 को दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धिया संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 29–05–2017 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जांच अधिकारी ने सीसीए नियम 16 (4)(क) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। जांच अधिकारी ने जांच प्रारम्भ करने से पूर्व अपीलांट को आरोप नहीं सुनाए। उक्त प्रावधानों में स्पष्ट है कि जांच अधिकारी के समक्ष कर्मचारी के उपस्थित होने पर आरोपित कर्मचारी को आरोप सुनायेंगे। अपचारी कर्मचारी से लिखित में स्टेटमेंट लेंगे कि आरोपी को आरोप स्वीकार है या नहीं? क्या आरोपी को आरोप पत्र मिल गया है? यदि आरोपी को आरोप स्वीकार नहीं है तो वे इन आरोपों को गलत सिद्ध करने के लिए अपना पक्ष रखना चाहते है क्या? इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न रूलिग्स में A.I.R 1961 (S.C) पृष्ठ 1070, A.I.R 1959 (M.P) पृष्ठ 404 में दी गई व्यवस्था अनुसार पारित दण्डादेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि जांच अधिकारी ने विभागीय पैरोकार द्वारा जांच में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर स्वीकृति/अस्वीकृति अंकित नहीं करवाई एवं ना ही विभागीय पैरोकार द्वारा जांच के दौरान विभागीय गवाहों की सूची ही अपीलांट को दिलवाई गई जांच अधिकारी ने अपीलांट को गवाह एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया और न ही सुनवाई की। केवल विभागीय पैरोकार के जवाब के आधार पर एवं केवल एक गवाह तत्कालीन अधिकारी अजमेर श्री संजय माथुर के बयान लेकर जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रूलिंग्स :— 1969 S.L.R पृष्ठ 667, 1980 R.L.W पृष्ठ 618 में जांच अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने से ऐसे दण्डादेश को निरस्त किया है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है वह अस्पष्ट व अपूर्ण है। आरोप पत्र में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि अपीलांट ने ऐसा कौनसा कृत्य किया है जिसके करने से व्यक्ति विशेष अर्थात सुल्तान पुत्र उमराव एवं उसके पुत्रों एवं परिजनों को लाभ पहुंचाया है। आरोप पत्र में उस लाभ का उल्लेख भी नहीं किया है। इसके अलावा आरोप पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि अपीलांट की मात्र रिपोर्ट किये जाने से इस रिपोर्ट के आधार पर किन—किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई है और राज्य सरकार को किस प्रकार से हानि हुई है। उक्त प्रकरण में कुछ ग्रामीणों ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर आरोप लगाये थे। उक्त शिकायत की जांच तहसीलदार, अजमेर द्वारा की गई। तहसीलदार अजमेर ने दिनांक 5—12—2014 को जांच पूर्ण कर अतिरिक्त कलक्टर अजमे एवं सचिव जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति अजमेर को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें शिकायत को झूठा माना एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को पुनः शिकायत की जांच के लिए लिखा। उपखण्ड अधिकारी ने इस शिकायत की कोई जांच नहीं की तथा अपीलांट को प्राथमिक जांच में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि राज्य सरकार के एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्पष्ट निर्देश है कि प्राथमिक जांच के दौरान संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय बार जो प्राथमिक जांचकी गई है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार, अजमेर ने शिकायत में अंकित तथ्य सही नहीं माने। तहसीलदार अजमेर ने पटवारी हलका व भू—अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट तथा मौके पर उपस्थित गवाहों की श्हादत लेने के लिए कहा था। इन दोनों ही कर्मचारियों ने दिनांक 3.12.2014 को मौके पर जाकर प्राथमिक जांच की। इन तथ्यों को शामिल करते हुए तहसीलदार अजमेर ने जांच में यह माना कि अपीलांट व भू—अभिलेख निरीक्षक ने ग्राम पंचायत को आबादी के लिए भूमि दिये जाने की जो रिपोर्ट की गई है वह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं

होकर ग्राम पंचायत मियांपुर द्वारा राजस्व रेकार्ड में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने के कारण रिकार्ड की स्थिति के अनुसार प्रस्ताव भेजे गये है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत मिंयापुर ने जो प्रस्ताव भेजे है उसी के अनुसार ही पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प मियापुर में प्रस्तुत की है। श्री संजय कुमार माथुर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने अपने बयानों में यह कहीं नहीं कहा कि पटवारी हलका व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ मिल गया है या किसी को भूमि आवंटित हो गई है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने अपने बयानों में मौके की स्थिति देखना बताया किन्तु उन्होंने मौके पर कितने व्यक्तियों का कब्जा है यह स्पष्ट नहीं किया। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिये अपीलाट को इस गवाह से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया एवं ना ही अपीलांट को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। पटवारी हलका एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 2–12–2014 को मौके पर जाकर ग्रामीणों के सामने अतिक्रमण किये गये व्यक्तियों की सूची बनाई जिसमें 69 व्यक्तियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान और बाडे बनाने की रिपोर्ट की गई। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि जो भूमि आबादी में परिवर्तित हुई उस पर सुल्तान पुत्र उमराव व उसके पुत्रों का समस्त भूमि पर कब्जा होने के तथ्य को गलत बताया और अंकित किया कि सुल्तान पुत्र उमराव का कब्जा खसरा नम्बर 200 में रकबा 0.08 हैक्टर भूमि पर है और इस पर अर्धनिर्मित मकान स्थापित है तथा इसी खसरा नम्बर में 0.10 हैक्टर भूमि पर पोल्ट्री फार्म बना हुआ है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने जो रिपोर्ट प्रेषित की वह सही थी। परन्तु जिला कलक्टर अजमेर ने तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर विचार ही नहीं किया। दण्डादेश वास्तविक मौके की रिपोर्ट एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि विभागीय पैरोकार की ओर से जांच अधिकारी के समक्ष ऐसा काई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि आबादी में परिवर्तित भूमि पर सुल्तान पुत्र उमराव व उसके पुत्रों का ही कब्जा है। जांच अधिकारी ने मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित माना है। इसलिए उक्त दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध केवल एक आरोप लगाया है कि वर्ष 2013 में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में ग्राम पंचायत मियांपुर द्वारा ग्राम देदुला के खसरा नम्बर कुल किता 14 रकबा 3.38 हैक्टेयर को आबादी

विस्तार हेतु आवंटन करने के प्रस्ताव में पटवारी हलका द्वारा की गई मौके की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केवल अपने हस्ताक्षर किये है जबकि पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की मौके पर जांच करते हुए अपनी स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जानी थी। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति ने ग्राम देदूला के ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम पंचायत द्वारा बस्ती से दूर स्थित खसरा नम्बरों पर व्यक्ति विशेष का कब्जा होने तथा उनमें से लगभग 2.75 हैक्टेयर भूमि पर सुल्तान पुत्र उमराव व उसके परिवार के मकानात बने हुए है। इस संबंध में निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबदी में खसरा नम्बर 197 रकबा 0.04 किस्म गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.02 किस्म गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 200 रकबा 2.51 किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी भूप्रबन्ध कार्यवाही वर्ष 1970–71 के दौरान अंकित की गई है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि पूर्व में ही गैर मुमकिन आबादी दर्ज थी। प्रशासन गांव के संग अभ्यिान 2013 की कियान्विति के संबंध में जिला कलक्टर अजमरे की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 8–1–2013 में निर्देश प्रदान किये गये है कि **''सिवायचक खाता नम्बर 1 में दर्ज गैर मुमकिन आबादी भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत के पक्ष में आबादी प्रयोजनार्थ आारक्षित कर दिया जावे ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी किये जा सके।''** जिला कलक्टर अजमेर के उक्त निर्देशों के उपरान्त चूंकि उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन आबादी भूमि के रूप में दर्ज थी इसलिए मौका रिपोर्ट में सूची संलग्न करने की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल रिपोर्ट में यह लिख दिया था कि मौके पर ग्रामीणों के मकानात व बाड़े बने हुए है। इसके अलावा ग्राम पंचायत मियांपुर में जो प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया था उसके अनुसार ही अपीलांट द्वारा रिपोर्ट की गई थी। अपीलाट ने प्रतिउत्तर में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत मियांपुर ने दिनांक 8–2–2013 को प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर ग्राम पंचायत मियांपुर के ग्राम ककलाना, लच्छीपुरा, देदूला, बाडिया का बाला में गैर मुमकिन आबादी भूमि जो सरकारी खाते में दर्ज है वह ग्राम पंचायत को दी जावे। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उक्त प्रस्ताव केम्प में प्रस्तुत करने के बाद ही अपीलांट ने दिनांक 9–2–2013 को मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रफोर्मा में केम्प में प्रस्तुत की थी जिसके कॉलम संख्या 1 व 2 में स्पष्ट अंकित किया गया कि मौके पर मकानात व बाड़े बने हुए है। इस रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उसके बाद उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 10–2–2013 व दिनांक 14–2–2013 को आवंटन आदेश जारी किये। अपीलांट ने रिपोर्ट में यदि कोई तथ्य छिपाये थे तो तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को आपत्ति करने का अधिकार था। तत्समय इन अधिकारियों ने कोई

आपत्ति नहीं की थी। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अपीलाट ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वह सही थी। यहां यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को यह अधिकार है कि मौके के अनुसार किस अतिक्रमी को पट्टा दे। इस प्रकार अपीलांट के स्तर पर की गई रिपोर्ट से किसी भी व्यक्ति को सीधे रूप से कोई पट्टा आदि जारी नहीं किया गया है एव ंना ही किसी विशेष व्यक्ति को लाभ ही मिला है। अपीलांट की रिपोर्ट मात्र ऐसी भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार के लिए हस्तांतरित करने से संबंधित थी। ग्राम पंचायत के नाम भूमि दर्ज होने के बाद भी किसी विशेष व्यक्ति को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। जांच अधिकारी के समक्ष किसी भी गवाह ने बयान नहीं किया है कि अपीलांट की रिपोर्ट से किस किस अतिक्रमी को भूमि आवंटित हुई हैं। नियमों के तहत पंचायत को आबादी भूमि अतिक्रमियों को नियमित करने के अधिकार है। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में एक प्रक्रिया दी गई है। इन प्रक्रियाओं के तहत 150 वर्ग गज भूमि पर बने मकान व बाड़ो को ग्राम पंचायत नियमित कर सकती है। इस प्रकरण में अभी तक ग्राम पंचायत ने किसी भी अतिक्रमी को कोई भूमि आवंटित नहीं की है। अतिक्रमियों की सूची तो ग्राम पंचायत स्तर पर तब बनती है जब ग्राम पंचायत अतिक्रमियों के कब्जे नियमित करे। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने अपने आवंटन आदेश दिनांक 10–2–2013 में आवंटन आदेश का आधार ग्राम पंचायत मियांपुर के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 8–2–2013 व तहसीलदार अजमेर की अभिशंषा को माना है। इस प्रकार अपीलांट की रिपोर्ट के आधार पर कोई भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित नहीं की गई है। इसलिए अपीलांट के विरूद्ध आरोप लगना ही नहीं चाहिए। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को प्रमाणित मानने का कोई दस्तावेजी प्रमाण अंकित नहीं किया है और जिला कलक्टर अजमेर ने भी सीसीए नियम 16 (9) के प्रावधानों के अनुसार आरोपों को प्रमाणित करने का कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। इसलिए जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उनके आदेश क्रमांक कअ/भू.अ./55 दिनांक 29–5–2017 द्वारा श्री चरणजीत तत्कालीन पटवारी मियांपुर तहसील अजमेर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सराधना, तहसील अजमेर के विरूद्ध आदेश पारित कर अपचारी कर्मचारी तत्कालीन पटवारी मियांपुर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धिया संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त आदेश में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक

प्रावधानों को नहीं मानने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। जिला कलक्टर, सतर्कता समिति अजमेर ने तहसीलदार अजमेर से ग्राम वासियों द्वारा की गई शिकायत की रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि ग्राम वासियों द्वारा गत दिनों आबादी भूमि का आवंटन सुल्तान पुत्र उमराव एवं उसके पुत्रों को लाभ पहुंचाने हेतु आबादी घोषित की है। वह व्यक्ति विशेष से नहीं होकर ग्राम पंचायत मियांपुर द्वारा राजस्व रिकार्ड में जो किस्म भूमि गै0मु0 आबादी दर्ज थी केवल उसी भूमि का ग्राम पंचायत मियांपुर द्वारा प्रस्ताव लेकर प्रशासन गांव के संगं अभियान केम्प में प्रस्तुत किये गये । प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आबादी घोषित करने पर पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 14–2–2013 को किता 14 रकबा 3.38 हैक्टेयर आबादी हेतु प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित की है। तहसीलदार, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5–12–2015 में ग्राम वासियों द्वारा की गई शिकायत को झूठी एवं निराधार माना है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी भू–प्रबन्ध कार्यवाही वर्ष 1970–71 के दौरान अंकित की गई है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि पूर्व में ही गैर मुमकिन आबादी दर्ज थी। जिला कलक्टर, अजमेर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 8–1–2013 में स्पष्ट निर्देश दिये है कि ''सिवायचक खाता नम्बर 1 में दर्ज गैर मुमकिन आबादी भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत के पक्ष में आबादी प्रयोजनार्थ आारक्षित कर दिया जावे ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी किये जा सके।'' उक्त आदेश की पालना में अपीलांट श्री चरनजीत तत्कालीन पटवारी हलका मियांपुर द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई थी। सरपंच ग्राम पंचायत मियांपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 अनुसार ही गैर मुमकिन आबादी को ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करने के प्रस्ताव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये है। उसके पश्चात ही शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर ग्राम देदूला ग्राम पंचायत मियापुर तहसील अजमेर को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश पारित किये है। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने भूमि की मौका स्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की है। जांच अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा केवल उपखण्ड अधिकारी अजमेर के बयानों के आधार पर जिला कलक्टर, अजमेर को जांच रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अपीलांट के बयान दर्ज नहीं किये गये एवं न ही उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। विभिन्न उच्चतम न्यायालयों ने अपने न्यायिक दृष्टान्तों में यह व्यवस्था दी है कि किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध जांच रिपोर्ट एवं आरोप पत्र प्रमाणित करने से पूर्व अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अपचारी कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई किये बिना पारित दण्डादेश निरस्तनीय है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं

मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट श्री चरणजीत तत्कालीन पटवारी मियांपुर तहसील अजमेर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सराधना, तहसील अजमेर द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट/टिप्पणी से किसी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है एवं न ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि हुई है। श्री चरणजीत तत्कालीन पटवारी मियांपुर तहसील अजमेर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सराधना, तहसील अजमेर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी पटवारी पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। उनकी रिपोर्ट से किसी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ मिल गया हो या किसी को भूमि आवंटित हो गई हो एवं सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि हुई हो। अपीलांट ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि सरपंच ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में गैर मुमकिन आबादी भूमि जो सरकारी खाते में दर्ज है, वह ग्राम पंचायत को दी जावे यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उक्त प्रस्ताव केम्प में प्रस्तुत करने के बाद ही अपीलांट द्वारा दिनांक 8–2–2013 को मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रफोर्मा में केम्प में प्रस्तुत की थी जिसके कॉलम संख्या 1 व 2 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि मौके पर मकानात व बाडे बने हुए है। उक्त टिप्पणी यदि गलत थी तो तत्समय तहसीलदार व शिविर प्रभारी को आपत्ति करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार मौके की स्थिति अनुसार ही प्रस्ताव तैयार किये गये है जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से सिद्ध है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा भी ग्राम वासियो द्वारा की गई शिकायत को निराधार एवं झूठा माना है। जिला कलक्टर अजमेर ने तहसीलदार, अजमेर की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को तथा अपचारी पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर दण्डादेश दिनांक 29–05–2017 पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/भू.अ./17/55 दिनांक 29–5–2017 अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर